आंबेडकर भवन-

चलिए जानते क्या है हकीकत।

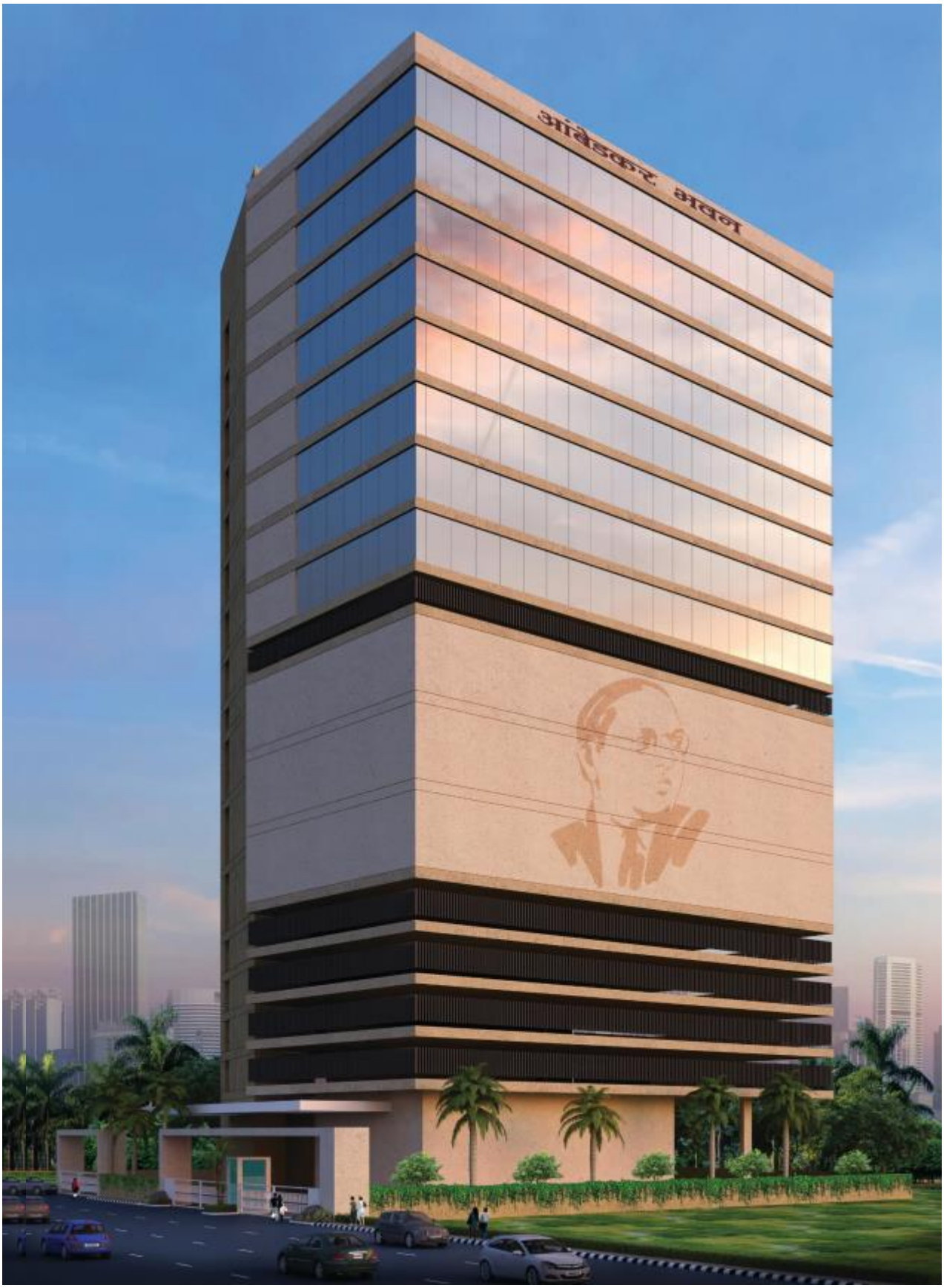
आंबेडकर भवन

प्रकाशकीय

L

मुंबई के दादर में गोकुलदास पास्ता लेन पर पीपल्स इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट (पूर्व में शेड्यूल्ड कास्ट इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट) के मालिकाना हक का 2,332 स्केयर फुट का एक भूखंड है। यह भूखंड बाबासाहब ने इमारत फंड के नाम पर इकठ्ठा किए चंदे के रुपये से 30 अक्टूबर 1944 को खरेदी किया था। इस जगह पर अस्पृश्य समाज के हक का एक भव्य सभागृह बनाकर यहां समाजक हितों की दृष्टि से विभिन्न कार्यक्रम चलाए जाने की उनकी मंशा थी। साथ ही अनुसूचित जाति के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलन को नियंत्रित करने वाला एक मुख्यालय भी वे इसी स्थान पर बनाना चाहते थे। लेकिन उनकी यह इच्छा विभिन्न कारणों से उनके महापरिनिर्वाण तक पूरी नही हो सकी। आज भी उनकी इस इच्छा को पूरी करने के रास्ते में कई तरह की बाधाएं निर्माण हुई है, अपितु की जा रही है। समाज के सर्वांगिण उत्थान के लिए सोशल सेंटर स्थापित करने का उनका सपना उनके महापरिनिर्वाण के बाद ही सही, साकार कर पाए। यह दिखाने के लिए पीपल्स इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने यहां बहुमंजिला इमारत बनाने के कार्य में जितनी भी बाधाएं आई, उसे दूर करने में सफलता हासिल की। सबसे बड़ी समस्या तो निधि की थी, जो सरकार की योजना से दूर हुई। निर्माण कार्य आरंभ कराने के पूर्व आवश्यक स्वीकृतियां तथा कानूनी पेच दूर किए गए और आगे की कार्यवाही शुरु कर दी गई। परंतु इसी दौरान अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए कुछ तत्वों द्वारा बाबासाहब के सपने को साकार करने के कार्य में बाधा डालना शुरु कर दिया। ट्रस्ट की मालिकाना हक की जगह पर बनाई हुई इमारत को महापालिका ने जर्जर की श्रेणी में रखा था। महापालिका द्वारा इस इमारत को ढहाने बाबत नोटिस जारी करने के बाद ही इसे ट्रस्ट द्वारा गिराया गया। लेकिन समाज के कुछ तत्वों ने इस मुद्दे को अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का मौका समझकर ट्रस्टियों के बारे में उलटी सीधी अफवाए फैलानी शुरु कर दी। इतना ही नही ट्रस्ट के सदस्यों पर लांच्छन लगाने के साथ उनका चरित्र हनन करने में भी कोई कसर नही छोड़ी गई। ट्रस्ट के मालिकाना हक की जमीन को लेकर मनगढंत कहानियां समाज में फैलाई गई। लिहाजा आंबेडकर भवन की जगह को लेकर आंबेडकरी जनता और लोगों में संभ्रम निर्माण हो गया है। ट्रस्ट का यह मामना है कि मामले से संबंधित तथ्यों और ठोस कानूनी दस्तावेज के आधार पर लोगों को सही जानकारी देकर उनकी यह संभ्रम अवस्था को दूर किया जा सकता है।

बाबासाहब न होते तो शायद आज ट्रस्ट के सदस्यों को भी इन्सान के रुप में जीने का सौभाग्य प्राप्त नही होता। इसलिए हमारी हर सांस पर बाबासाहब का अधिकार है। बाबासाहब के हमारे उपर इतने उपकार है

कि हम उसे कभी भूल नही सकते है। इसके प्रति कृतज्ञता की भावना हमारे दिल में है। बाबासाहब ने हमारे लोगों को स्वाभीमान से जीने का अधिकार दिलाने के लिए जो ताउम्र संघर्ष किया है, उस संघर्ष को आगे भी जारी रखना है इस कर्तव्य को समझकर ही ट्रस्ट के सभी ट्रस्टी कार्यरत है। ट्रस्ट के सदस्य, सलाहकार, हितचिंतक भले ही राजनीतिज्ञ न हो, किसी राडनीतिक दल के सदस्य न हो, बाबासाहब के संविधान को ठोकर मारकर मनचाहा व्यवहार करना या तानाशाही वृत्ति के सामने नतमस्तक होने वाले न हो, पर ये बाबासाहब के कार्य को निस्वार्थ रुप से आगे ले जाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देने वाले निष्ठावंत अनुयायी जरुर है। पिछले कई वर्षों से ट्रस्ट के पदाधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में अपनी काबिलियत और जितनी समज है उसके अनुसार समाज की निस्वार्थ रुप से सेवा करते चले आ रहे है। यही वजह है कि सोशल सेंटर खड़ा करने के रास्ते में आयी कई कठिनाईयों का सामना करते हुए ट्रस्ट के सदस्य बाबासाहब के सपने को साकार करने में पुरी शिद्दत से लगे हुए है। लोगों को इन सब बातों की सही जानकारी मिले, पिछले कुछ समय से ट्रस्ट के बारे में मनगढंत और झूठी बातें तो फैलाई ही जा रही है, लेकिन खुद बाबासाहब के दस्तावेजों पर भी सवालिया निशान खड़े किए जा रहे है। इन सारी बातों की सही जानकारी लोगों तक पहुंचाने के उद्देश से ट्रस्ट द्वारा छोटी पुस्तिका प्रकाशित की जा रही है। इस पुस्तिका के माध्यम से लोगों में जो संभ्रम निर्माण हुआ है, वह दूर होगा ऐसी आशा है। बाबासाहब ने ट्रस्ट की स्थापना उनके द्वारा निर्मित सार्वजनिक संपत्ति के संरक्षण और उसके विकास के लिए की है। इस बात को ट्रस्ट के सदस्य कभी भूल नही सकते। पीपल्स इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट द्वारा अब तक कोई भी गैरकानूनी कार्य नही किया है। जो भी कार्य किया वह पारदर्शक तरीके से और लोगों को सही जानकारी देकर ही किया है और आगे भी करते रहेंगे। उम्मीद है, इस पुस्तिका के माध्यम से आंबेडकरी जनता सत्य तथ्य से अवगत होंगी। इस पुस्तिका के निर्माण में जिन लोगों का योगदान प्राप्त हुआ है, उनका मै आभार मानता हूं और आंबेडकरी जनता को यह पुस्तिका अर्पण करता हूं।

आंबेडकर भवन-चलिए जानते क्या है हकीकत।

मुंबई के दादर इलाके में स्थित आंबेकर भवन के एक हिस्से को गिराए जाने का मुद्दा फिलहाल महाराष्ट्र की तमाम आंबेडकरी जनता के लिए जिने-मरने, अस्मिता और आंबेडकरी आंदोलन का अस्तित्व आदि अहम सवाल बने हुए है। हालांकि इससे पहले बाबासाहब को मानने वाली जनता राजनीतिक, सामाजिक मतभेदों के अलावा क्षेत्रीय पृथकता जैसे कई मुद्दों पर टुकड़ों में बंटी हुई थी। लेकिन जैसे ही आंबेडकर भवन गिराए जाने की घटना सामने आई बाबासाहेब के खून के वंशज कहे जाने वाले कथित नेताओं को मानने वाला समाज का एक धड़ा यह सवाल कर रहा है कि उनके हाथो में आंबेडकरी राजनीतिक आंदोलन की बागडोर तथा बाबासाहब द्वारा स्थापित सामाजिक, धार्मिक एवं शैक्षणिक संस्थाएं सौंपने में संकोच क्यों है? वहीं दूसरी ओर समाज का एक धड़ा मुखर होकर यह कह रहा है कि हम भी बाबासाहब के विचारों के असली वारिस है। उनके अधूरे कार्य को हम भी आगे ले जाना और उनके सपने को साकार करना चाहते है। इस कार्य में बाबासाहब के वारिस बिल्कूल बाधाएं उत्पन्न ना करें। इस तरह से आंबेडकर भवन गिराए जाने के बाद पहली बार आंबेडकरी जनता बाबासाहब के परिवार के सदस्यों के समर्थक और विचारों के समर्थक ऐसे दो भागों में विभाजित हो गयी है। जिस तरह हजरत मोहम्मद पैगबंर के बाद प्रेषितों के विश्वासू शिष्यों को उनका उत्तराधिकारी माने या फिर खून के रिश्ते वालों को उत्तराधिकारी माने, इसको लेकर शिया और सुन्नी में दो गुट निर्माण हुए थे। कुछ ऐसी ही स्थिति आंबेडकरी आंदोलन में निर्माण हुई दिख रही है। इसके पीछे का मुख्य कारण यह है कि आंबेडकर भवन के मालिकाना हक के बारे में लोगों तक सही जानकारी नही पहुंच रही है। लिहाजा समाज में बड़े पैमाने पर झुठी अफवाहे फैलाई जा रही है। हकीकत को बगैर जाने ही लोग भावनाओं में बहकर अपना राय बना रहे है। इसलिए इस जगह को खरीदकर यहां समाज के मालिकाना हक का सभागृह खड़ा हो, अन्याय-अत्याचार से पीड़ित व्यक्तियों को आधार देने के लिए इस भवन का उपयोग हो, लोगों के दुखों को दूर करने के उपायों पर संशोधन करने का केन्द्र बने, शिक्षा ग्रहण करने के लिए कठिनाईयों का सामना कर रहे समाज के मेधावी छात्र-छात्राओं को ज्ञानार्जन के लिए अपने हक का निवासस्थान बने, दूरदराज से आने वाले कार्यकर्ताओं का आश्रयस्थान

हो, यहां समाज को प्रभावित करने वाली समस्याओं को समझने और उसे दूर करने के उपायों पर संशोधन का केन्द्र बने, सरकार के नीतियों का आकलन कर उनकी गल़त नीतियों पर उन्हे जवाब मांगनेवाला और समाज के चहुमुखी विकास के लिए आवश्यक नीति बनाकर देनेवाला केन्द्रीय मुख्यालय बने आदि बाबासाहब द्वारा देखे इन सपनों को तार तार कर दिया है। समाज को सक्षम बनाने के उद्देश से हमारे बाबासाहब (बाप) ने इस जमीन को खरीदा था। लेकिन जो लोग बाबासाहब के इन सपनों से अवगत नही है या यूं कहें जिन्हे इससे कोई लेना-देना ही नही है, उन्होने इस जमीन के मुद्दे पर समाज को भ्रमित कर भाईचारे से रहने वाले अनुयायियों को एक-दूसरे के खिलाफ दुश्मन के भांति खड़ा कर दिया है।

भगवान बुद्ध कहते है, न हि वेरे वेरानि सम्मन्तीघ कुदाचनं। अवेरेन च सम्मन्ति एस धम्मो सनन्तनो।। बैर से बैर कभी शांत नही होता। बैर प्रेम से ही शांत होता है। यही शाश्वत नियम है। बाबासाहब ने बड़ी दिक्कत और मशक्कतो के बाद अपने अनुयायियों को बुद्ध का मार्ग प्रदान कर एक सही प्रगती की दिशा दी है। इसलिए बुद्ध के मार्ग का ही अनुसरण करते हुए हमें हमारे बीच का विवाद बैर से नही बल्कि प्रेम से सुलझाना चाहिए। यदि विवाद को प्रेम से सुलझाना चाहते है तो सबसे पहले हमे आंबेडकर भवन के वास्तविक सच्चाई के बारे में जानना बेहद जरुरी है। परंतु इस सत्य को जानने के लिए सबसे पहले हमने सुनी-सुनाई बातों के आधार पर जो राय कायम की है या हमारे मन में जो गलत-सलत धारणाएं बनी है, राग और द्वेष इन सब बातों को अलग रखना होगा। तो चलिए , आंबेडकर भवन की वास्तविक सच्चाई क्या है, इसे जानकर यह तय करते है कि बाबासाहब के इस सपने को पूरा करना है या उसे चूर-चूर करना है।

क्या था बाबासाहब का सपना?

सपना देखना, उसे साकार करने के लिए जी जान से परिश्रम करना, सपना पूरा नही होने पर निराश होना और फिर से नए जोश के साथ उसे हकीकत में बदलने में जुट जाना, यह मानव स्वभाव है। जिसे हम अपना सब कुछ मानते है, वो हमारे पिता तुल्य बाबासाहब भी ऐसा ही सपना देखनेवाले और उसे साकार करने के लिए अपनी जान की बाजी लगाने वाले महामानव थे। हमारे इस मुक्तिदाता ने अपने करोड़ों बच्चों के लिए एक सपना देखा था। वह सपना था, अपने समाज के मालिकाना हक का एक भव्य सामाजिक केन्द्र बनाने का, जो अस्पृश्य लोगों के उत्थान का केन्द्र और समाज का सामुदायिक रुप से उत्पन्न का एक साधन बने। अपने इस सपने को वास्तविकता के धरातल पर उतारने की दिशा में का प्रयास उनके द्वारा 15 फरवरी 1941 को फलटण रोड, मुंबई में दिए भाषण से पता चलता है। वे कहते है कि जिस तरह एक सेठ अपने लड़कों के लिए इमारत या फिर एक चाल बनाकर रखता है, उसी तर्ज पर यह इमारत बनाने का मेरा उद्देश है। मेरे बाद आपको इस इमारत से बड़ा लाभ मिलेगा। किंतु आप लोगों को एक-दूसरे से भाईचारे से रहना होगा। उनकी समाज के प्रति इस चिंता को देखे तो इस भवन की जमीन को

लेकर जो बखेड़ा खड़ा किया गया है, वह बाबासाहब के सपने को चकनाचुर करने वाला है कहे तो अतिशयोक्ति नही होगी। बाबासाहब केवल यह सपना देखकर ही नही रुके उन्होने इस दिशा में काम करना भी शुरु किया। मुंबई के उनके करीबी साथी गणपत महादेव जाधव ऊर्फ मडके बुवा, गोविंद परमार, शांताराम उपशाम गुरुजी, माजगाव के ताडवाडी के रामजी रावजी बोरीकर ऐसे अपने कई सहकारियों के साथ मिलकर मुंबई की चालों में घुम-घुमकर इमारत फंड के नाम से पैसा इक्कठा करना प्रारंभ किया। इमारत फंड इक्कठा करने के लिए 19 मार्च 1938 को आयोजित पहली ही सभा में माजगाव के ताडवाडी में रहने वाले अस्पृश्य बांधवों ने उन्हे इमारत फंड के लिए 101 रुपये चंदा दिया। इसके तुरंत बाद इमारत फंड की कोषाध्यक्ष के रुप में सेवा भाव से जिम्मेदारी संभालने वाले उपशाम गुरुजी ने बाबासाहब के निर्देशों के अनुसार 1000 पावती बुक छापी। चंदा जमा करने के लिए मुंबई व अन्य शहरों में चाल कमिटी तथा ग्रामीण अंचलों में तहसील और गाव कमिटियों का गठन किया गया। पुरुषों से दो और महिलाओं से एक रुपया चंदा वसूलने का फैसला लिया गया। इसके बाद इमारत फंड इक्कठा करने के लिए उन्होने मुंबई शहर व आसपास के इलाकों में कई सभाएं ली, ऐसा दिखाई देता है। जिस जगह पर आंबेडकर भवन बना है, वह जमीन बाबासाहब ने सितंबर 1940 में अपने कब्जे में ली थी, यह उनके 1 नवंबर 1940 को इसी स्थान पर आयोजित सभा में दिए भाषण से पता चलता है। लेकिन उस समय जमीन की कीमत नही चुकाई गई थी। यह रकम बारा साल में हफ्ते-हफ्ते में चुकानी थी। इस रकम पर हर साल रुपये 2,200 ब्याज देना निश्चित किया गया था। इसी सभा में डॉ बाबासाहब आंबेडकर ने प्रस्तुत स्थान पर तीन मंजिला इमारत के निर्माण का संकल्प घोषित किया था। पहले मंजिल पर आधे हिस्से में भारतभूषण प्रिटिंग प्रेस व दूसरे आधे हिस्से में म्युनिसिपल युनियन व अन्य ऑफिसेस और कुछ रहने के लिए कमरे बनाये जायेंगे। दूसरे मंजिल पर उत्पन्न के स्त्रोत के रुप में किराए पर देने के लिए गेस्ट रुम बनाई जायेगी और तीसरे मंजिल पर बड़ा हॉल बनाया जायेगा। इस योजना के माध्यम से किराए के रुप में वार्षिक लगभग 4 हजार रुपये उत्पन्न मिलेगा व उसमे से खर्चे की राशि को मायनस करके 2,500 रुपये शेष बचेंगे, जिसका उपयोग ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले अन्यायग्रस्त लोगों की मदद के लिए किया जायेगा। यह बाते बाबासाहब ने इस सभा में कहीं थी।

इस संदर्भ में जनता समाचार पत्र में 25 दिसंबर 1940 को उन्होने अस्पृश्य लोगों को उद्देशित एक विनंती पत्र प्रकाशित किया है उसमें बाबासाहब कहते है, हमारा आंदोलन सदैव चलता रहे इसलिए हमारे पास अपने मालिकाना हक की जमीन, इमारत व शाश्वत निधि रहना क्रमप्राप्त हो गया है। इस इमारत में हमारे सभी संस्थाओं के कार्यालय केन्द्रीभूत हो सकेंगे। भारत भूषण छापखाना, जनता, शैक्षिक संस्था, म्युनिसिपल कामकरी संघ व स्वतंत्र मजूर पार्टी आदि के ऑफिसेस के अलावा सार्वजनिक वाचनालय, सभा व सम्मेलनों तथा विवाह समारोह जैसे धार्मिक विधि के लिए एक बृहद हॉल आदि का इसमें समावेश होगा। बाबासाहब और उनके सहयोगियों का इस सपने को पूरा करने के लिए निरंतर काम करते रहे। उनके अथक प्रयासों से 19 मार्च 1938 से 30 अक्टूबर 1944 तक 45,095 रुपये, 6 आने व 9 पैसे इतनी रकम इमारत फंड

के नाम पर इकठ्ठा हुई। इसमें से 30 अक्टूबर 1944 को अंबालाल पूनमचंद के पास से 36,535 रुपये देकर 2,332 स्केयर फुट भूखंड खरीदा गया। खरीदे गए भूखंड का 30 अक्टूबर 1944 को विक्रय पत्र निष्पादित किया गया है, उसमें खरीददार के तौर पर 1) डॉ. बाबासाहब आंबेडकर, 2) भाऊराव कृष्णराव गायकवाड, 3)दौलत गुणाजी जाधव, 4)गणपत महादेव जाधव, 5)पांडुरंग नथुजी राजभोज आदि के नाम शामिल है। इमारत फंड के रुप में मुंबई इलाके के महार लोगों से 1,938 रुपये इकठ्ठा किए गए। बाबासाहब ने स्वयं 14 जुलाई 1952 को मुंबई के दामोदर हॉल में आयोजित सभा में बताया है कि उनके आवाहन को प्रतिसाद देते हुए संस्थानिक, राजे-रजवाडे तथा धनवान लोगों ने आर्थिक मदद की जिसके माध्यम से 'द बॉम्बे शेड्युल्ड कास्ट इम्प्रुवमेंट ट्रस्ट' की मालिकाना हक की जगह खरीदी गई। इसी सभा में उन्होने इमारत फंड के नाम पर 1 लाख 11 हजार 228 रुपये, 4 आने और 3 पैसा इतनी राशि इकठ्ठा होने की बात बताई है। इसमें महार समाज के लोगों की ओर से 31,709 रुपये और 4 आने जमा किए गए। शेष 75 हजार 500 रुपये का निधी उच्च वर्ग के दोस्तों द्वारा जमा किया गया। कुल रकम में से 35 हजार 535 रुपये में जगह खरीदी गई, 35,000 रुपये प्रेस की इमारत के निर्माण के लिए खर्च किए गए। शेष 39,693 रुपये, 4 आने व 3 पैसे इतनी राशि इंपिरियल बैंक में जमा रखी गई है। यह सारा लेखाजोखा बाबासाहब ने दिया है. (पढे BAWS,VOL18,Part III पृ. क्र. 310-311).महार समाजसेवा संघ की ओर से 20 जुलाई 1952 को मुंबई में आयोजित सत्कार समारोह के मौके पर मुंबई में महार समाज के मालिकाना हक का हॉल बनाने की याद दिलाते हुए बाबासाहब कहते है, मैने उस दिन दामोदर हॉल में आयोजित सभा में इमारत फंड के नाम पर आपके और मेरे द्वारा कितनी राशि जमा की गई यह बात स्पष्ट की है। मेरे नाम पर आपके बैंक में कितनी राशि जमा है यह भी बता दिया है। उद्देश यही है कि मेरे पश्चात मेरे पुत्र द्वारा भी इस पर अपना हक नही जता पाए। बाबासाहब ने ट्रस्ट की जगह कैसे खरीदी और प्रेस की इमारत का निर्माण कैसे किया? इस बारे में बाबासाहब द्वारा दिए गए ब्यौरे को देखे तो भूखंड की खरीदी के बारे में सभी आशंकाए दूर होगी। यह भूखंड और प्रेस की इमारत मेरे परिवार की निजी संपत्ति नही, अपितु इस पर 'ट्रस्ट का मालिकाना हक है और ट्रस्ट की जगह पर ही प्रेस डाली गई है, इसलिए इसके किराए के रुप में मै हर माह 50 रुपये ट्रस्ट को अदा करता हूं। निचली अदालत में प्रस्तुत (केस क्रं. 1095/4920) मुकदमे की सुनवाई के दौरान विपक्ष पार्टी के वकील देवधर द्वारा पूछे सवाल के जवाब में बाबासाहब ने यह बाते अदालत को बताई। इस वस्तुस्थिती को ध्यान में लेने के बाद ट्रस्ट की जगह, जिस पर अभी बुद्धभूषण प्रेस है, यह जगह लोगों से चंदा इकठ्ठा करके खरीदी गई है। लिहाजा यह जमीन कानूनी तौर पर ट्रस्ट के मालिकाना हक की होने की बात साबित होती है।

पीपल्स इम्प्रुवमेंट ट्रस्ट क्या करना चाहता है?

उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर यह स्पष्ट है कि बाबासाहब का वर्ष 1925 से ही यह प्रयास था कि समाज के मालिकाना हक की एक इमारत हो, जहां से समाज के गरीब तबकों के उन्नती के लिए सभी प्रकार की गतिविधियां चलाई जाएं। बाबासाहब जब 1931 में गोलमेज परिषद के लिए लंडन रवाना हुए उस दौरान उन्होने ब्रिटिश भारत के रियासतों व राजे-रजवाडों के नाम पत्र लिखा था, जिसमें उन्होने 1925 में स्थापित डिप्रेस्ड़ क्लासेस इन्स्टिट्यूट द्वारा डिप्रेस्ड़ क्लासेस के लोगों के उन्नती के लिए चलाएं जाने वाली गतिविधियों का जिक्र किया है। साथ ही उन्होने इस बात का भी जिक्र किया कि के इस संस्था के माध्यम से जनता समाचार पत्र निकाला जा रहा है। लेकिन समाचार पत्र छापे की मशीन बहुत छोटी है, इसमें केवल समाचार पत्र की छपाई का ही काम हो सकता है अन्य व्यवसायिक गतिविधियां नही की जा सकती। इन सभी कार्यों के लिए संस्था को अपने मालिकाना हक का एक मध्यवर्ती कार्यालय बनाने, जमीन खरीदी करने तथा जनता समाचार पत्र की छपाई हेतु एक अद्यावत मशीन खरीदी करने के लिए 40 हजार पौंड की जरुरत है। इन कार्यों के लिए हमे आथिक मदद की जाएं, ऐसा बाबासाहब ने रियासतदारों को आवाहन किया था। इसी पत्र में उन्होने गत वर्ष यानि 1930 में रियासतों व राजाओं द्वारा डिप्रेस्ड क्लासेस इन्स्टिट्यूट को चंदे के रुप दिए गए 1,335 पौंड (उस समय के 28,000 रुपये) रकम का ब्यौरा दिया है। (पढे BAWS,VOL17,Part II पृ. क्र. 407-412)। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि भारत भूषण प्रिटिंग प्रेस इसी रकम से खरीदी गई होगी। यहां यह उल्लेखनीय है कि बहिष्कृत भारत प्रेस फंड के लिए महार जातियों के लोगों से चंदे के रुप में जुलाई, 1929 के अंत तक प्राप्त कुल रुपये 3,001 का लेखा-जोखा चंदा देने वालों के नामों के साथ बहिष्कृत भारत के कई अंकों में छापा गया है। बाबासाहब ने शेड्यूल्ड कास्ट इम्प्रुवमेंट ट्रस्ट का पंजीयन 1944 में भले ही किया है , लेकिन इसकी योजना उन्होने 1925 में ही तैयार की थी। 2 जुलाई 1942 में बाबासाहब वाईसराय कौन्सिल के सदस्य के रुप में मनोनित हुए, उस दौरान उन्होने अप्रैल 1944 को अस्पृश्यों की उन्नती के लिए एक सोशल सेंटर की जरुरत को दोहराते हुए उसके निर्माण के लिए आवश्यक 3 लाख 25 हजार रुपये की आर्थिक मदद करने का भारत के संस्थानों और राजे-रजवाडों को आवाहन किया था। सोशल सेंटर स्थापित करने के पीछे का उनका उद्देश अस्पृश्य लोगों की मालिकाना हक की एक स्वतंत्र इमारत हो व उस इमारत में अपनी संस्थाओं के कार्यालय या फिर एकाद हॉल बनाने तक ही सीमित नही था, बल्कि उस सोशल सेंटर के माध्यम से उन्हे हिंदू व्यवस्था को ध्वस्त कर समूचे भारत के तमाम अस्पृश्यों के अलावा अन्य वर्ग के पीडित लोगों को बराबरी का हक दिलाने के लिए छेडे गए आंदोलन को सफल बनाना था। वे मानते थे कि आंदोलन को अगर सफल बनाना है तो उसके नियंत्रण में प्रमुख रुप से तीन बातों का होना अपरिहार्य है। जैसे 1) केन्द्रीय कार्यालय 2) योग्य प्रशिक्षित समर्पित कार्यकर्ताओं की टीम 3)आर्थिक संसाधन। इन संसाधानों के आधार पर ही निरंतर चलने वाला आंदोलन खड़ा किया जा सकता है। इसलिए उन्होने ट्रस्ट की स्थापना कर वहां अपने आंदोलन का केन्द्रीय मुख्यालय स्थापित करना चाहते थे, जो राऊंड दी क्लॉक काम करें। इस केन्द्रीय

मुख्यालय में 1) प्रमुख संगठनों के कार्यालय 2) कार्यकर्ताओं के लिए निवारा की व्यवस्था 3) विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजनों के लिए 2500सीटों वाला सुसज्जित भव्य सभागृह 4)सभी सुविधाओं से लैस आधिनिक लाइब्रेरी और रीडिंग रुम 5) नियत कालिक समाचार पत्र तथा आंदोलन के लिए जरुरी सामग्री प्रकाशन का शाखा व एक छोटासा छापखाना 6) समता सैनिक दल व तत्सम संगठनों के मुख्यालय 7) नाट्य, कला, जलसा जैसे लोक शिक्षा की कलाओं के लिए सुविधा केन्द्र, ऐसे सात उपक्रम इस सेंटर के माध्यम से चलाए जायेंगे यह उनके द्वारा लिखित रुप में उपलब्ध है। (BAWS,VOL17,Part II पृ. क्र. 447-454)। बाबासाहब का यह सपना उनके महापरिनिर्वाण के साठ साल बाद भी पूरा नही हो सका है। लेकिन बाबासाहब का यह सपना उनके ही द्वारा स्थापित ट्रस्ट जो वर्तमान में पीपल्स इम्प्रुवमेंट ट्रस्ट के नाम से जाना जाता है के ट्रस्टियों ने साकार करने का बिड़ा उठाया है और वे इसे निश्चित रुप से पूरा करेंगे।

बाबासाहब का सपना अब तक पूरा क्यों नही हो सका?

डॉ. बाबासाहब आंबेडकर ने अपने समाज की उन्नती के लिए एक सामाजिक केन्द्र के निर्माण का सपना देखा था और उसे पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित भी थे। इसलिए उन्होने ट्रस्ट स्थापित कर अपने समाज बांधवों से पर्याप्त चंदा इकठ्ठा कर ट्रस्ट के लिए जमीन खरीद ली, लेकिन किसी-न-किसी कारणों से उनके सोशल सेन्टर निर्माण करने के कार्य में बाधाएं आती रही और वे जीते जी इस सपने को पूरा नही कर सके। इसके कारणों को जानने की कोशिश करने पर वह निम्नलिखित दिखाई देते है।

1)जुलाई 1942 में बाबासाहब वाइसराय की कार्यकारी परिषद के लिए श्रम मंत्री के रुप में नियुक्त हुए। इसलिए उन्हे मुंबई से दिल्ली जाना पड़ा। इसके बाद 1946 में उनकी भारतीय संविधान सभा के सदस्य और बाद में मसौदा समिति के अध्यक्ष के रुप में बाबासाहब को चुना गया। भारत की स्वतंत्रता के बाद अस्तित्व में आई पहली सरकार में बाबासाहब को देश का कानून मंत्री बनाया गया। इस पूरी कालावधी में यानी 1942 से 1952 इन दस वर्षों में बाबासाहब का मुंबई से काफी कम संपर्क रहा। इस कालावधी में कम से कम 3-4 बार ट्रस्ट की जगह को भेंट दिए जाने की बात वर्ष 1954 में निचली अदालत में दायर दावा क्रमांक 1095/4920 में विपक्षी पार्टी वकील द्वारा पूछे सवाल के जवाब में बताई है। इस दौरान इस जगह का व्यवस्थापन गणपत महादेव जाधव उर्फ मडके बुवा देख रहे थे। उनका 1948 में निधन हो गया। उसके बाद यह जिम्मेदारी बाबासाहब के पुत्र मा. यशवंतराव आंबेडकर संभालने लगे। बाबासाहब जब 1952 में मुंबई में आए तो उन्होने इसमें अपना ध्यान केन्द्रीत किया। इस जगह के कुछ हिस्से पर प्रेस के लिए बनाई गई इमारत को ढहाकर उसके स्थान पर नई इमारत खड़ी करने का प्लान उन्होने आर्किटेक्ट से मंजूर करा लिया। परंतु मा. यशवंतराव आंबेडकर ने फरवरी 1949 में पाकिस्तान से आए विस्थापित तीन व्यक्तियों को इस जगह के कुछ हिस्से को किराए पर दे दिया था। नए इमारत का निर्माण करने के पहले उन

व्यक्तियों को हटाना जरुरी था। इसलिए बाबासाहब ने उन्हे जगह खाली करने को कहा, लेकिन उन्होने यह जगह खाली करने से इंकार कर दिया था। इसलिए बाबासाहब ने उन्हे इस स्थान से हटाने के लिए खुद ट्रस्ट की ओर से निचली अदालत में दावा दाखिल किया था। वर्ष 1955 में कोर्ट ने इस दावे का फैसला ट्रस्ट के पक्ष में सुनाया। लेकिन अदालत ने उन किरायेदारों को जगह खाली करने के लिए तीन साल की अवधी दे दी। यह अवधी कम की जाए, इसलिए बाबासाहब ने कोर्ट के फैसले के विरुद्ध अपील की। इस अपील पर कोर्ट का फैसला उनके जीवनकाल में नही आया। परिणामस्वरुप वे अपने जीते जी इस स्थान पर नई इमारत का निर्माण नही कर पाए। इस कालावधी के दौरान पहले वाले किरायेदारों द्वारा यहां रखे गए 20 अन्य किरायेदारों ने कोर्ट में दावा दाखिल किया। उस केस का फैसला फरवरी 1962 में आया। कोर्ट के फैसले को उन्होने उच्च न्यायालय में चुनौति दी। अदालत में यह मामला वर्ष 2001 तक चलता रहा। 2001 में न्यायालय में प्रविष्ठ सभी मामलों का निपटारा हुआ और पूरी जगह निर्विवाद रुप से ट्रस्ट के कब्जे में आयी।

2) बाबासाहब ने इस स्थान पर नई इमारत बनाने के लिए 1953 में एक प्लान मंजूर करवा लिया था, लेकिन मामला न्यायालय में जाने के कारण इस जगह पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नही किया जा सका। कुछ सालों बाद यानी वर्ष 1967 में मुंबई महापालिका ने नए विकास प्रारुप में इस भूखंड को माध्यमिक स्कूल के लिए आरक्षित किया। लिहाजा ट्रस्ट के तत्कालीन अध्यक्ष डी. जी. जाधव ने वर्ष 1973-74 में नए निर्माण कार्य का विकास प्रारुप मंजूरी के लिए महापालिका में दाखिल किया था। महापालिका से इस प्रारुप को मंजूरी नही मिली। बावजूद वर्ष 1974 मे नियोजित निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया। परंतु निधि के अभाव में नियोजित निर्माण कार्य पूरा नही हो सका। जून 1982 में महानगरपालिका ने ट्रस्ट द्वारा पेश किए नए निर्माण कार्य के प्रारुप को अपनी अंतिम मंजूरी दे दी। प्रारुप के मुताबिक स्कूल के लिए दो मंजीला इमारत व स्कूल के कार्यक्रमों के लिए एक सभागृह के निर्माण को मंजूरी मिल गयी। मंजूरी के बाद स्कूल के निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए वर्ष 1982 में ट्रस्ट ने स्टेट बैंक की दादर शाखा से 6 लाख रुपये का ऋण मंजूर करवा लिया गया। कर्ज के पहले हफ्ते के रुप में बैंक ने ट्रस्ट के खाते पर 2 लाख रुपये रकम जमा कर दी। इस रकम के माध्यम से अधूरे रहे निर्माण कार्य की फिर शुरुआत हो गई। ग्राउंड फ्लोअर पर पार्किंग की जगह का काम वर्ष 1985 के लगभग पूरा हो गया। लेकिन इस दौरान कर्जे का हफ्ता और ब्याज का भुगतान समय पर अदा नही कर पाने की वजह से बैंक ने ऋण की उर्वरित रकम वितरित नही की। इसलिए ग्राउंड फ्लोअर के उपर के मजलों का निर्माण कार्य फिर अधुरा रह गया। निर्माण कार्य पूरा नही होने के कारण पार्किंग में बीजली कनेक्शन, पानी, टॉयलेट आदि व्यवस्थाएं नही हो सकी। जाहिर सी बात है कि यहां किसी प्रकार की बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नही हो सकने के कारण यहां सभाएं या कोई कार्यक्रम आयोजित करना संभव नही था। इसलिए आंबेडकरी आंदोलन के संदर्भ में ऐतिहासिक माने जाने वाली एकाद सभा यहां आयोजित की गई हो, ऐसा भी उदाहरण नही है। हां, 1985

के बाद इस जगह का छोटी-बडी सभाओं या बैठकों के लिए उपयोग किया जाने लगा। लेकिन यह बड़ी खेद की बात है कि इस स्थान पर बाबासाहब के सपनों का सोशल सेंटर या आंदोलन का मुख्यालय आज तक खड़ा नही हो सका।

सोशल सेंटर के निर्माण के लिए ट्रस्टियों द्वारा किया गया प्रयास

इस भूमि से संबंधित न्यायालयीन प्रविष्ठ सभी मामलों का निपटारा होने के बाद वर्ष 2001 में यह भूमि ट्रस्ट के कब्जे में आयी। वर्ष 1974 में भू-तल के उपर दो मंजिलों के निर्माण के लिए की शुरुआत हो गई थी, लेकिन वित्तिय समस्याओं के चलते आगे काम जारी नही रहा। इस कालावधी के दौरान बारीश और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के चलते इमारत का निर्माण कार्य कमजोर हो गया था। 1945-46 में यहां अस्थायी तौर प्रेस के लिए इमारत बनाई गई थी, जो जीर्ण-शीर्ण अवस्था में पहुंच गई थी। इसलिए ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने इमारत को ध्वस्त करके इसके स्थान पर नई अत्याधुनिक बहुमंजिला इमारत बनाने की दिशा में तैयारी शुरु कर दी थी। परंतु इस बीच स्टेट बैंक ने कर्ज वसूली के लिए कोर्ट में याचिका दायर कर दी थी। बैंक ने वितरित किए ढाई लाख रकम पर ब्याज और उसके उपर चक्रवृद्धि ब्याज मिलाकर कुल 12 लाख रुपये वसूली के लिए ट्रस्ट पर दावा ठोक दिया था। ट्रेस्ट की जमीन के दस्ताएवज बंधक के रुप बैंक के पास जमा थे। साथ ही ट्रस्ट पर महानगरपालिका के करों की 1 लाख 20 रुपये रकम लंबित थी। लिहाजा कर की वसुली के लिए महापालिका ने ट्रस्ट की जमीन जप्त करने के लिए नोटिस जारी किया था। उधर बैंक ने भी ट्रस्ट की जमीन जप्त कर उस पर कोर्ट रिसिवर नियुक्त करने की तैयारी शुरु कर दी थी। ऐसी विषम परिस्थिती में ट्रस्ट के तत्कालीन अध्यक्ष आर जी खरात और महासचिव प्रा. वी. एस. अवसारे ने उनके परिचित वर्षा कैटर्स के मालिक सुनील शहा से एक करार किया। इसमें यह तय किया गया कि वर्षा कैटर्स ट्रस्ट को बैंक का कर्जा और महापालिका के लंबित कर की रकम अदा करने के लिए वित्तिय सहायता करें और उसके बदले में वर्षा कैटर्स तीन साल तक ट्रस्ट की इमारत में होने वाले शादी या अन्य समारोह के लिए मंडप और कैटरिंग की सुविधा उपलब्ध कराते रहे। इसके बाद बैंक का कर्जा और महापालिका का लंबित कर अदा होने के बाद यह जमीन पूरी तरह से कर्जमुक्त करा ली गई। इसके बाद ट्रस्ट का उत्पन्न बढाने और इमारत का काम पूरा करने की दिशा में ट्रस्टियों ने फिर से प्रयास करने शुरु कर दिए। लेकिन इस दौरान भारिप-बहुजन महासंघ के अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर ने ट्रस्ट के खिलाफ सरकार से शिकायत की। शिकायत में ट्रस्टियों पर आर्थिक गैरव्यवहार, ट्रस्ट की संपत्ति और भंगार अवैध रुप से बेचना, मंडप व कैटरर्स द्वारा प्राप्त रुपयों की हेराफेरी करना जैसे गंभीर आरोप लगाए। इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने ट्रस्ट के आर्थिक व्यवहार और अन्य संदर्भों में जांच की , लेकिन पुलिस को इसमें कुछ भी तथ्य नजर नही आया। इमारत निर्माण के रास्ते में इस दौरान आयी ऐसी विभिन्न समस्याओं के कारण ट्रस्टियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। परिणाम यह हुआ की इन चक्करों के कारण

इमारत निर्माण का कार्य ठप पड़ता गया। लेकिन ट्रस्टियों के मन में बाबासाहब के सपने को साकार करना ही उद्देश है, इसलिए फिर से नए उत्साह के साथ ट्रस्टियों ने सोशल सेंटर बनाने का कार्य पूरा करने के लिए सरकार तथा अन्य मार्गों से निधि जमा करने का प्रयास जारी रखा। इसी कड़ी में निजी विकासकों के माध्यम से नए विकास प्रारुप के अनुसार इमारत बनाई जा सकती है क्या, इस दिशा में भी प्रयास किए। लेकिन उसमें सफलता हाथ नही लगी। इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने 29 मार्च 2011 में ट्रस्ट को 10 करोड़ रुपये आर्थिक सहायता को मंजूरी दी। ट्रस्ट के पास यह रकम अब भी सुरक्षित है।

ट्रस्ट के नाम, संविधान और उसके नियमों में बदलाव तथा नए सदस्यों की नियुक्ती

ट्रस्ट के संस्थापक सदस्यों में से जी. एम. जाधव (मडके गुरुजी), दादासाहेब गायकवाड, डी. जी. जाधव, जी. टी. परमार, शांताराम उपशाम गुरुजी, पी. एन.राजभोज, बी. एच. वराले, पी. एल. लोखंडे, दादासाहेब शिर्के, एस.एस. डिखळे, आर. जी. खरात, प्रा. यादवाराव गांगुर्डे इन विश्वस्तों में अधिकतर ऐसे है जिन्होने बाबासाहब के साथ कार्य किया है। उनकी मृत्यु के बाद उनके स्थान पर नए विश्वस्तों की नियुक्ती की गई। जिनमें जी. के. माने, डॉ. पी. टी. बोराले, मोरेश्वर तांबे, जे. डी. जाधव, प्रा. वी. एस. अवसारे, ए. एस. उपशाम, डॉ. एस. एस. धाकतोडे, एड. श्रीकांत गवारे आदि शामिल है। इनमें से जी. के. माने, डॉ. पी. टी. बोराले, मोरेश्वर तांबे, जे. डी. जाधव का निधन हो गया है। इनके स्थान पर विलास वाघ, वसंत धावरे, शंकरराव गायकवाड को नियुक्त किया गया। वर्ष 2004 में विश्वस्तों ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर ट्रस्ट का दी बॉम्बे शेड्युल्ड कास्ट्स इम्प्रुवमेंट ट्रस्ट का नाम बदलकर दी पिपल्स इम्प्रुवमेंट ट्रस्ट रखने के साथ ट्रस्ट के संविधान और कुछ नियमों को संशोधित किया गया। इसमें मुख्य संशोधन सदस्यों के निवृत्ती की आयु सीमा 75 वर्ष कर दी गई। साथ ही यह भी सर्वसम्मति से तय किया गया कि यदि सदस्य की आयु 75 वर्ष पूरी हो गई और वह ट्रस्ट की जीम्मेदारी संभालने के लिए सक्षम है तो उसका कार्यकाल और 5 साल के लिए बढाया जायेगा। इसके अनुसार ट्रस्ट के सन्माननीय सदस्य वसंत धावरे एवं ए. एस. उपशाम इनका कार्यकाल 5 साल बढाने के बाद वे 80 वर्ष आयु के बाद निवृत्त हो गए। इसी तरह डॉ. एस. एस. धाकतोडे और विलास वाघ भी 75 वर्ष आयु के बाद निवृत्त हो गए। मा. सदस्य शंकरराव गायकवाड ने अपने पद का इस्तीफा दे दिया। ट्रस्ट के चेयरमन प्रा. वी. एस. आसवारे पर वर्ष 2012 में एक आपराधिक मामला दर्ज हुआ। इसे देखते हुए भारिप बहुजन महासंघ, रिपब्लिकन सेना, रिपब्लिकन विद्यार्थी सेना द्वारा उन्हे अध्यक्ष पद से हटाए जाने के लिए आंदोलन छेडा था। लिहाजा उन्हे 1 जनवरी, 2013 को अध्यक्ष पद से मुक्त किया गया। उस दौरान उनकी आयु 75 वर्ष पूरी हो चुकी थी। इन सभी कारणों से निवृत्त हुए सदस्यों के स्थान पर ट्रस्ट के संशोधित नियमों के अनुसार नए सदस्यों की नियु

क्ती की गई और इस संबंध में धर्मादाय आयुक्त कार्यालय में रिपोर्ट पेश कर विश्वस्त मंडल द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के मुताबिक नए ट्रस्ट का संज्ञान लेने के बारे में सूचित किया गया है।

ट्रस्ट के खिलाफ शिकायते, विश्वस्तों पर हमले, धमकियां और गाली-गलोज आदि.

ट्रस्ट के पूरे इतिहास में ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने उनके सामने आयी परिस्थियों चाहे वह प्रतिकूल ही क्यों न हो, हर हाल में बाबासाहब के सोशल सेंटर बनाने के सपने को साकार करने के लिए इमारत के निर्माण कार्य को पूरा करने का पूरी शिद्दत से प्रयास किया है। इस बात को कोई भी नकार नही सकता। एक ओर नौकरी के साथ सामाजिक व राजनीतिक व्यस्ततम कार्यों से समय निकालकर ट्रस्ट के कार्य को आगे बढाना, वहीं दूसरी ओर बाबासाहब के सोशल सेंटर बनाने का सपना पूरा न हो, इस मंशा से ट्रस्ट के खिलाफ कार्रवाईयां करने वाले अपने ही लोगों द्वारा की जा रही बदनामी को सहन करना, निराधार आरोपों से मानसिक परेशानी सहन करना आदि ट्रस्ट पर विश्वस्त के तौर पर काम करने वाले और वर्तमान में कार्यरत सभी को इन कठिनाईयों से गुजरना पडा है और गुजर भी रहे है। डॉ. बाबासाहब आंबेडकर द्वारा इमारत फंड की घोषणा करने के बाद पहले दिन से ट्रस्ट को मिले चंदे का हिसाब रखने वाले शांताराम उपराम गुरुजी ने किसी प्रकार के मुआवजे की अपेक्षा न रखते हुए (वर्ष1955 में शिक्षाधिकारी के पद से सेवानिवृत्त होने के बाद भी हुए) अपने अंतिम सांस (1975 में निधन) तक ट्रस्ट के लिए निस्वार्थ भाव से काम करते रहे। उन्होने 1938 से 65 तक इन 27 वर्षों के कार्यकाल का 1967 में रिपोर्ट पब्लिश किया। उसमें उन्होने ट्रस्ट को 25 रुपयों से अधिक चंदा देने वाले प्रत्येक व्यक्ति और संस्था का पूरा विवरण नाम और पते के साथ लिखकर रखा है। ऐसे व्यक्ति पर भी ट्रस्ट के पैसे से घर बनाना जैसे गंभीर आरोप लगाए गए, लेकिन उन्होने ट्रस्ट की रिपोर्ट में एक-एक पाई का हिसाब और सबूत देकर विरोधियों के मुंह बंद कर दिए। डॉ. पी. टी. बोराले को भी ट्रस्ट के खिलाफ गितिविधियों को निरंतर अंजाम देने में लगे रहे अपने ही कुछ स्वकियों ने अर्धनग्न कर बर्बरता से पिटाई की है। वर्ष 2006 में भारिप बहुजन महासंघ के अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर ने ट्रस्ट के सदस्यों के खिलाफ कई निराधार आरोप लगाकर पुलिस में शिकायत की है। उसके बाद राजेन्द्र आनंद पवार ने 29 जनवरी 2014 में ट्रस्ट के खिलाफ धर्मादाय आयुक्त कार्यालय में शिकायत की। इस शिकायत की जांच कर आयुक्त ने इसमें कोई तथ्य नही होने का फैसला दिया। बावजूद इनका झूठी शिकायते करने का सिलसिला अब भी थमा नही है।

भटके-विमुक्तों का बौद्ध धम्म में धर्मान्तर करने के लिए वर्ष 2006 में धम्मदीक्षा स्वर्ण महोत्सव समिति का गठन किया गया था। समिति द्वारा धर्मान्तर का भव्य समारोह मुंबई के रेसकोर्स मैदान पर आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम के आयोजक दैनिक सम्राट के संपादक बबन कांबले तथा भटके-विमुक्त के नेता लक्ष्मण माने के अनुरोध पर धम्मदीक्षा स्वर्ण महोत्सव समिति को ट्रस्ट ने अपनी इमारत में अस्थायी तौर पर कार्यालय स्थापित करने के लिए जगह उपलब्ध करा दी थी। इस बात पर आनंदराज आंबेडकर तिलमिला गए और मीराताई आंबेडकर की बौद्ध महासभा कार्यरत होने के बावजूद धम्म का कार्य करने वाली अन्य संस्था को बाबसाहब द्वारा स्थापित इमारत मे जगह किस अधिकार से उपलब्ध कराई, यह

कहते हुए उन्होने मा. अनंत उपशाम, वसंतराव धावरे, प्रा. वी. एस. आसवारे को गालीगलोज करते हुए जान से मारने की धमकी दी थी। इस मामले में 7 अक्तूबर 2006 को भोईवाडा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई थी। उसके बाद 5 दिसंबर 2010 को भारिप बहुजन महासंघ के कार्यकर्ता प्रतीक धनराज कांबले और प्रसेनजीत धनराज कांबले ने ट्रस्ट के सचिव एड. श्रीकांत गवारे और दूसरे विश्वस्त डॉ. एस. एस. धाकतोडे के साथ मारपीट तथा कार्यालय के सामान को तहस-नहस किया। इसकी भी 10-12-2010 को भोईवाडा पुलिस में शिकायत की गई है। 26 दिसंबर 2015 को आनंदराज का ड्राइवर राकेश गायकवाड ने ट्रस्ट के सलाहकार रत्नाकर गायकवाड और उनकी लड़की शिवाजंली गायकवाड के ऊपर टोयाटो क्वालिस गाडी चढाकर दोनों को जान से मारने की कोशिश की गई थी। यह मामला भी 26 दिंसबर 2015 को भोईवाडा पुलिस में दर्ज है। इसके बाद ट्रस्ट के वर्तमान अध्यक्ष योगेश वराडे और सदस्य नागसेन सोनारे की कार वरली में बीच रास्ते में रोककर उन पर हमला करने का प्रयास किया गया। इन सभी घटनाक्रमों को देखते हुए विश्वस्तों को अपनी जान गंवाने का खतरा होने के बावजूद इन परिस्थितियों का सामना करते हुए बाबासाहब के सपने को साकार करने के लिए ट्रस्टियों ने काम किया और अब भी कर रहे है।

बाबासाहब के सोशल सेंटर के सपने को साकार करने की दिशा में कदम

आंदोलन का मुख्यालय यानी सोशल सेंटर की 3 मंजिला इमारत बनाने की बाबासाहब ने जो नींव रखी थी, उसे 75 साल का समय बीत चुका था। डॉ बाबासाहब आंबेडकर ने अथक परिश्रम और यहां की ब्राम्हणवादी व्यवस्था से दो हाथ करके इसके खिलाफ खड़े किए गए आंदोलन ने और विस्तृत रुप धारण कर लिया था। बाबासाहब की पहचान अब केवल अस्पृश्यों के नेता तथा संविधान निर्माता के तौर पर ही सीमित नही रही, बल्कि वे विश्व के अन्यायग्रस्त, शोषित, पीडितों लोगों के संघर्ष के प्रेरणास्थान बन गए। बाबासाहब का संघर्ष, उनके विचार, दर्शन (तत्वज्ञान) का अध्ययन करने के लिए देश-विदेश के विद्वान, संशोधक, अध्ययनकर्ता भारत आने लगे। बाबासाहब के विश्वस्तरीय महत्व को और शोषितों के मुक्तिदाता के रुप में प्राप्त किए गए स्थान को देखते हुए पीपल्स इम्प्रुवमेंट ट्रस्ट ने तय किया कि उनके नाम पर बनाए जाने वाला, बाबासाहब के आंदोलन का मुख्यालय भी वैसा ही भव्य और दिव्य और दुनिया के सभी शोषितों को प्रेरणा देने वाला बनाया जाए। सोशल सेंटर सभी सुविधाओं से लैस बनाने के साथ ही इस मुख्यालय में जो कोई आएगा उसे कोई भी ग्रंथ पढे बिना, किसी को कुछ पूछे बगैर बाबासाहब द्वारा चलाई पूरी मूवमेंट समझे, इस स्वरुप में सोशल सेंटर निर्माण करने का हमारा उद्देश है। इसमें बाबासाहब की वस्तुओं म्युजियम, बाबासाहब के आंदोलन की जानकारी देनेवाली स्थायी चित्रप्रदर्शनी, पैनोरामा आदि शामिल है। लेकिन इस कार्य में कई रुकावटे निर्माण की गई। इनमें सबसे बड़ी समस्या मुंबई महानगरपालिका के विकास प्रारुप में यह जगह स्कूल की इमारत के लिए आरक्षित की गई। लिहाजा इस जगह पर स्कूल के अलावा अन्य निर्माण कार्य नही किया जा सकता था। इसके लिए सबसे पहले पालिका के विकास प्रारुप में

ट्रस्ट के मालिकाना हक की जमीन पर दर्शाए गए माध्यमिक स्कूल के आरक्षण को रद्द करना जरुरी था। यह काम इतना आसान नही था। ट्रस्ट ने इस मामले में महापालिका से पत्राचार शुरु किया। यह आरक्षण हटाना महापालिका के नही बल्कि सरकार के अधिकार में था। इसलिए मंत्रालय के विभिन्न विभागों से एनओसी प्रमाणपत्र प्राप्त कर तथा राज्यपाल की मंजूरी से अधिसूचना जारी करना आवश्यक था। इस कार्य के लिए मंत्रालयों के कार्यपद्धती की जानकारी रखने वाला और ट्रस्ट को इसमें मदद करने वाले व्यक्ति की ट्रस्ट को जरुरत थी। इसी जरुरत को ध्यान में रखते हुए राज्य के मुख्य सचिव रत्नाकर गायकवाड से मुलाकात कर उनसे इस कार्य में मदद करने का अनुरोध किया गया। ट्रस्ट के अनुरोध को स्वीकार करते हुए तथा अपना खुद का भी बाबासाहब के सपने को साकार करने में योगदान रहे यह सोचकर उन्होने ट्रस्ट के सलाहकार के तौर पर इस कार्य में मदद करने की जिम्मेदारी उठाई। उनके ही प्रयासों से सरकार ने ट्रस्ट के भूखंड पर "माध्यमिक स्कूल" के आरक्षण को रद्द कर उसे पब्लिक हॉल एन्ड इन्स्टिट्यूनल यूज में तब्दिल किया। इस संदर्भ में 3 दिसंबर 2015 को राज्यपाल के मंजूरी की अधिसूचना जारी की गई। बाबासाहब के सोशल सेंटर बनाने के सपने को साकार करने की दिशा में यह एक बहुत बड़ी उपलब्धी हासिल हुई। सरकार द्वारा इस भूखंड पर स्कूल के आरक्षण को खत्म करने के बाद ट्रस्ट ने इस भूखंड पर 17 मंजिला इमारत निर्माण का प्रारुप मुंबई महानगरपालिका में मंजूरी के लिए पेश किया। महापालिका ने आवश्यक जांच पडताल करने के बाद 13 अप्रैल 2016 को ट्रस्ट को इमारत निर्माण के लिए आवश्यक अनुमति यानी आई.ओ.डी (मंजूरी) प्रदान की। महापालिका द्वारा 17 मंजिला इमारत निर्माण के लिए मंजूरी मिलने से बाबासाहब के सपने को पूरा करने में उत्पन्न एक बड़ा अवरोध तो दूर हुआ, लेकिन 1945-46 के दौरान यहां बनाई गई इमारत, जिसमें बुद्धभूषण प्रिटिंग प्रेस है, जिसकी अवस्था जर्जर हो चुकी थी को ध्वस्त करना यह दूसरा अवरोध ट्रस्टियों के समक्ष था। ट्रस्ट यहां भले ही 17 मंजिला इमारत खड़ी करना चाहती है पर इस इमारत से करोड़ों आंबेडकरी जनता की भावनाएं जुड़ी हुई है, इसका एहसास ट्रस्ट के सदस्यों को है। इस इमारत के एक कमरे में मां. प्रकाश आंबेडकर के नेतृत्ववाली भारिप बहुजन महासंघ का कार्यालय था। उसी तरह मा. भीमराव आंबेडकर द्वारा संचालित बुद्धभुषण प्रिटिंग प्रेस की मशिनरी और मा. आनंदराज आंबेडकर के रिपब्लिकन सेना का कार्यालय भी इसी इमारत में था। उनका भी इस बहुमंजिला इमारत खड़ी करने में सहयोग मिले, इसलिए ट्रस्टियों ने उनसे बातचीत कर उन्हे नियोजित इमारत में बड़े क्षेत्रफल की जगह देने का फैसला लिया।

आंबेडकर भवन गिराने का घटनाक्रम

भूखंड का आरक्षण रद्द किए जाने के बाद इमारत निर्माण के लिए ट्रस्ट ने महापालिका से आवश्यक अनुमति और दस्तावेज जुटाने के प्रयास तेज कर दिए। साथ ही इमारत का निर्माण कार्य शुरु करने की पूर्वशर्त के रुप में मा. प्रकाश आंबेडकर, मा. आनंदराज आंबेडकर और मा. भीमराव आंबेडकर की सहमति

प्राप्त करने के लिए भी प्रयास शुरु किए। इस कडी में उनसे प्रत्यक्ष मुलाकात करने का ट्रस्टियों द्वारा बार-बार प्रयास किया गया। ट्रस्टियों के अनुरोध पर मा. आनंदराज आंबेडकर और मा. भीमराव आंबेडकर ने ट्रस्ट के पक्ष को सुना, लेकिन प्रकाश आंबेडकर की ओर से ट्रस्टियों को बिल्कूल सकारात्मक प्रतिसाद नही मिला। आनंदराज और भीमराव आंबेडकर ने प्रकाश आंबेडकर को साथ लेकर नियोजित इमारत का प्रजेंटेशन देखने के लिए 5अप्रैल 2016 का दिन निश्चित किया। परंतु उस दिन यह तीनों उपस्थित नही रहे। इसके बाद भी उनसे बार-बार अनुरोध किया गया। जिसे स्वीकार करते हुए इनमें से केवल भीमराव आंबेडकर ने मिलने का समय दिया और वे मिले। इस भेंट में उन्हे पावर पाइंट प्रजेंटेशन दिखाया गया। इसे देखकर उन्होने समाधान तो व्यक्त किया, पर निर्माण कार्य को अपना सहयोग देने के लिए तीन शर्ते रखी। वह इसप्रकार है, 1) आंबेडकर भवन में फिलहाल उनके उपयोग में जितनी जगह है, उतनी ही जगह नियोजित इमारत में दी जाए 2) बुद्ध भूषण प्रिटिंग प्रेस की जगह उनके परिवार के उपार्जन का साधन होने के कारण उसका मालिकाना हक उनको दिया जाए, उन्होने प्रेस का मालिकाना हक साबित करने वाले वैध दस्तावेज 5 दिन में मुहैया कराने का वादा किया 3) ट्रस्ट में उन्हे और प्रकाश आंबेडकर को विश्वस्त सदस्य बनाया जाए। इन तीनों शर्तो में से नियोजित इमारत में उन्हे जगह देने की शर्तने को स्वीकार किया गया। बुद्ध भूषण प्रेस की जगह के मालिकाना हक साबित करने वाले दस्तावेज उपलब्ध कराए जाने पर इसकी जगह भी उन्हे देने की शर्त मान ली गई। परंतु, बाबासाहब द्वारा तय और ट्रस्ट द्वारा गत 60 वर्षों से अनुसरित नीति के मुताबिक भीमराव और प्रकाश आंबेडकर को बतौर विश्वस्त नियुक्त करने की शर्त को ट्रस्ट ने स्वीकार नही किया। इस संबंध में 16 मई 2016 को एक पत्र लिखकर उन्हे सूचित भी किया गया। उसके बाद भी उनसे कोई सकारात्मक प्रतिसाद नही मिला। 25 अप्रैल 2016 को मा. प्रकाश आंबेडकर, मा. आनंदराज आंबेडकर और मा. भीमराव आंबेडकर को पत्र लिखकर इमारत गिराए जाने बाबत सूचित किया गया और इमारत में मौजूद उनका कार्यालय व सामान हटाने के लिए कहा गया। उसके बाद दैनिक लोकसत्ता के 4 मई 2016 के अंक में इस संबंध में एक नोटिस भी प्रकाशित किया गया। इस कालावधी के दौरान तीनों मा. प्रकाश आंबेडकर, मा. आनंदराज आंबेडकर और मा. भीमराव आंबेडकर में से किसी ने भी ट्रस्ट को न तो अपना जवाब भेजा न ही नियोजित इमारत निर्माण कार्य शुरु करने के ट्रस्ट के प्रयास का विरोध किया। आईओडी में मौजूद शर्ते पूरी करने की दृष्टि से इस जगह पर किए गए निर्माण कार्य की मजबूती और सुरक्षितता की जांच करने का ट्रस्ट द्वारा महापालिका को अनुरोध किया गया। महापालिका के आदेश के अनुसार इस इमारत का निर्माण कार्य विशेषज्ञों द्वारा स्ट्रक्चरल आडिट किया गया। विशेषज्ञों द्वारा दिए गए रिपोर्ट के आधार पर महानगरपालिका ने इस इमारत को धोकादायक व असुरक्षित घोषित कर एक महिने के भीतर इस इमारत को गिराए जाने बाबत ट्रस्ट को 1 जून 2016 को एक नोटिस जारी किया। आंबेडकर परिवार के तीनों सदस्यों के कार्यालय के दरवाजे पर यह नोटिस लगाई गई। 21 जून 2016 को इमारत के निर्माण कार्य को गिराने के लिए पुलिस बंदोबस्त देने की मांग का एक

पत्र भोईवाडा पुलिस को दिया गया। उसके बाद दैनिक सम्राट, दैनिक जनतेचा महानायक, दैनिक लोकनायक इन समाचार पत्रों में इमारत ढहाये जाने संबंधी लगातार तीन विज्ञापन भी प्रकाशित किया गया। इस दौरान प्रकाश आंबेडकर, भीमराव और आनंदराज आंबेडकर ने इस पर कोई आपत्ति जताई और न ही इसके खिलाफ न्यायालय में चुनौति दी। इसलिए यह बिलकूल नही कहा जा सकता कि ट्रस्ट ने इमारत ध्वस्त करने का कार्य किसी को अंधेरे में रखकर किया है, बल्कि यह कार्य पूरी पारदर्शिता के साथ किया गया।

आंबेडकर भवन के नाम से पहचाने जाने वाली इमारत का वर्ष 1984-85 में किया गया अधूरा निर्माण कार्य किस परिस्थियों में गिराया गया, इस संदर्भ विस्तृत जानकारी उपर दी गई है। परंतु इस संबंध में झूठी अफवाए और असत्य जानकारी फैलाकर आंबेडकरी जनता को भावनिक रुप से भडकाया गया। इस प्रकरण की वस्तुस्थिती को छुपाकर और मनगढंत तथ्य तैयार कर अपना राजनीतिक और आर्थिक स्वार्थ साधने का इस में भरपूर प्रयास किया गया। इनमें से कुछ असत्य तथ्यों का हम वस्तुस्थिती पर आधारित स्पष्टीकरण देना अपना कर्तव्य समझते है, जो निम्नलिखित है।

आंबेडकर भवन विरासत श्रेणी की धरोहर है क्या?

किसी ऐतिहासिक धरोहर, स्थल या महापुरुषों के जीवन की ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व की घटनाओं से संबंधित परिसर तथा कलाकृति को धरोहर के रुप में जतन करने संबंधी केन्द्र सरकार ने निम्नलिखित कानून पारित किए है। 1) प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958, 2) पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972, 3) ऐतिहासिक स्मारक एवं पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष कानून-2010।

कुछ राज्यों ने अपने राज्यों में स्थित प्राचीन स्मारकों एवं पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष से संबंधित कानून पारित किए है। महाराष्ट्र में केन्द्र सरकार के ही कानून लागू है। इस कानून के मुताबिक जिन स्मारकों का ऐतिहासिक वास्तु, ऐतिहासिक प्रसंगों से संबंधित अथवा महापुरुषों के जीवन से संबंधित महत्व है, ऐसी इमारत, परिसर, कलाकृति या वास्तु को धरोहर के रुप में घोषित किया जा सकता है। यह घोषणा केन्द्र और राज्य सरकार के पुरातत्व विभाग या संबंधित राज्य की कन्जर्वेशन कमिटि के सिफारिशों के अनुसार अधिसूचना जारी की जाती है। हेरिटेज के रुप में घोषित इमारत, परिसर, कलाकृति या वस्तु उसका कालावधी, ऐतिहासिकता, पर्यावरणीय महत्व, वास्तुशास्त्र, शिल्पकला या महापुरुषों के जीवन से संबंधित ऐतिहासिक महत्व की वास्तु संरक्षित या असंरक्षित वर्ग-1, वर्ग-2, वर्ग-3 इस श्रेणी में आती है। इन वास्तुओं की देखभाल, जतन, मरम्मत तथा पूरी तरह से नष्ट करने और इसे पुनर्निर्मित करने के नियम सरकार तय करती है। सरकार ऐसी घोषणा करें, इसलिए संबंधित इमारत, वस्तु, कलाकृति के धारक अगर स्वयं मांग करते है तो संबंधित राज्य की कन्जर्वेशन कमिटि उसके प्रासंगिकता की जांच पड़ताल और सर्वेक्षण

करने के बाद अपनी रिपोर्ट सरकार को भेजती है। अगर ऐसी मांग नही भी की हो तो भी संबंधित राज्य की कन्जर्वेशन कमिटि खुद होकर सर्वेक्षण कर वैसी सिफारश केन्द्र/राज्य सरकार को कर सकती है। सरकारी अधिसूचना के अनुसार घोषित किए बगैर किसी भी ऐतिहासिक वास्तु, स्थल, महापुरुषों के जीवन की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व की घटनाओं से संबंधित परिसर, कलाकृति आदि को हेरिटेज नही माना जाता है। आंबेडकर भवन अथवा बुद्धभूषण प्रिटिंग प्रेस के बारे में ऐसी कोई घोषणा नही होने के कारण इनसे भले ही लोगों की भावनाए जुड़ी हुई हो, कानून के मुताबिक इसे हेरिटेज नही कहा जा सकता। 1942 से 1952 इन दस वर्षों के दौरान मुंबई से बहुत कम संपर्क रहा। न्यायालय में दायर मुकदमे के दौरान विपक्ष पार्टी के वकिलों के जवाब में बाबासाहब ने स्वयं कहा है कि उनका यहां 3-4 बार ही आना हुआ है। इससे यह स्पष्ट है कि यहां किसी भी प्रकार की ऐतिहासिक गतिविधियां नही हुई है। आंबेडकर भवन/बुद्धभूषण प्रेस को सरकार द्वारा हेरिटेज घोषित नही किया गया है। बावजूद भवन और बुद्धभूषण प्रेस को जो लोग ऐतिहासिक हेरिटेज मान रहे हैं, उन्हे बुद्धभूषण प्रिटिंग प्रेस में जो प्रिटिंग मशीन थी, उसे साल में एकाद विशेष दिन (6 दिसंबर) लोगों को देखने के लिए कभी भी उपलब्ध नही कराई गई है। यह मशीन किस स्थिति में रखी गई है, उसके बारे में भी लोगों को जानकारी नही दी गई है। जिनके कब्जे में यह मशीन है, उनकी अगर यह इच्छा होती कि इसे ऐतिहासिक धरोहर का दर्जा मिले, वे इस संबंध में सरकार से जरुर पत्राचार करते, लेकिन उन्होने ऐसा कुछ नही किया। लोगों को केवल भावनिक रुप से उत्तेजित करने के लिए झूठा प्रचार किया जा रहा है। ट्रस्ट ने मशीन को किसी 6प्रकार का नुकसान नही पहुंचाया है, यह पुलिस ने अपने पंचनामें बताया है। बावजूद यह मशीन हतोडे से तोड़ी गई, ऐसा झूठा प्रचार किया जाना बहुत ही गल़त और अनेतिक है।

2) आंबेडकर भवन तोड़ना मतलब आंबेडकरी आंदोलन ध्वस्त करना है क्या?

यह सच है कि आंबेडकर भवन में आंबेडकरी आंदोलन से संबंधित सभाएं, कार्यक्रम आदि आयोजित किए जाते रहे है। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि वर्ष 1985 के बाद ही यहां कार्यक्रम आयोजित किए जाने लगे। यह कहना अतिशयोक्ति होगी कि आंबेडकर भवन ही आंबेडकरी आंदोलन का एकमात्र केन्द्र था। आंबेडकरी आंदोलन बहुत व्यापक है। यह राजनीतिक, सामाजिक, कलाविषयक, सांस्कृतिक, धार्मिक, साहित्यिक, कामगार वर्ग विषयक आदि क्षेत्र में जिवित है। कुछ समय से किसी विशिष्ट समूह को ही यहां कार्यक्रमों के आयोजन को अनुमति मिल रही थी। इस विशिष्ट समूह के अलावा आंबेडकरी आंदोलन के अन्य सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक संगठनों के लोगों को यहां मुक्त प्रवेश नही था। विरोध के बावजूद अगर यहां कार्यक्रम आयोजित किया भी तो उसे सफल नही होने दिया जाता। जिन्होने यहां अवैध कब्जा किया उनके कार्यकर्ताओं द्वारा ऐसे आंबेडकरी कार्यकर्ताओं को वहां से भगाया जाता था या कार्यक्रम के दौरान लाईट बंद कर दी जाती थी। ऐसा अनुभव कथन करने वाले कई लोग है। मा. प्रकाश आंबेडकर ने

वर्ष 2006 में ट्रस्ट के खिलाफ भोईवाडा पुलिस में शिकायत की थी। इस मामले की जांच करने वाले पुलिस निरीक्षक दिनेश कुमार गुप्ता ने 24 मार्च 2006 को अपनी रिपोर्ट पुलिस आयुक्त परिमंडल-4 को भेजी थी, जिसमें यह कहा गया था कि प्रकाश आंबेडकर बाबासाहब के पौत्र होने का लाभ उठाकर ट्रस्ट की जगह पर जबरदस्ती अपना पार्टी कार्यालय खोल रखा है, जिसका वे ट्रस्ट को कोई मुआवजा भी नही चुका रहे है। वे इसे अपनी जागीर समझकर अन्य लोगों के साथ मनमाने तरीके से बर्ताव करते है। इस वस्तुस्थिती को ध्यान में लिया जाए तो यह जान पड़ता है कि उनके कारण आंबेडकर भवन में समाज के अन्य आंबेडकरी संगठनों, राजनीतिक दलों के लोगों की अबाध आवाजाही पर एक प्रकार से प्रतिबंद ही लग गया था। इन बातों को ध्यान में लेने पर यह कहा जा सकता है कि आंबेडकर भवन को ढहाया जाना आंबेडकरी आंदोलन को तहस-नहस किए जाने बाबत इन लोगों द्वारा जो अपप्रचार किया गया है वह आंबेडकरी जनमत अपने पक्ष में करने का मामला है।

3) आंबेडकर भवन रात में चुपचाप तरीके से ढहाना उचित है क्या?

मुंबई महानगर पालिका ने आंबेडकर भवन की इमारत को जर्जर की श्रेणी में रखते हुए इसे एक माह के भीतर जमींदोज करने बाबत ट्रस्ट को 1 जून 2016 को नोटिस जारी किया था। इस नोटिस के बारे में आंबेडकर परिवार के सदस्यों को भी अवगत कराया गया था। साथ ही भोईवाडा पुलिस से इमारत गिराने के लिए 21 जून 2016 को बंदोबस्त देने की मांग की गई थी, जिसमें इमारत को कौनसे समय गिराया जायेगा यह भी बताया गया था। यहां यह उल्लेखनीय बात है कि आंबेडकरी समाज का नेतृत्व करने का दंभ भरने वाले मा. प्रकाश आंबेडकर या उनके अन्य भाईयों को महापालिका द्वारा भेजी गई नोटिस के बारे में अवगत कराए जाने के बाद भी किसी ने इसके खिलाफ कोई आवाज नही उठाई। यहां यह विचारणीय मुद्दा है कि इमारत गिराए जाने के बाद ही इन सदस्यों ने हजारों लोगों को भावनिक रुप से भडकाकर सड़कों पर उतारा और ट्रस्टियों के खिलाफ जनमत बनाने के प्रयास किया। आंबेडकर भवन को रात में गिराने का निर्णय इसलिए लिया गया था कि यहां दिन में यातायात में अवरोध निर्माण ना हो। इसमें गैरकानूनी कुछ भी नही है। यह महज लोगों को भडकाने के लिए जानबूझकर इस घटना को बढाचढाकर बताया जा रहा ह.

बहरहाल, जिन्हे सत्य स्थिती को छुपाकर परिस्थिती का लाभ उठाना होता है, उन्हे जनता में भावनात्मक आवेग निर्माण करना जरुरी होता है। वर्तमान में गांव-देहातों तक पहुंच रखने वाले व्हाट्सएप व फेसबुक सोशल मीडिया के माध्यम से आंबेडकर भवन के विवाद में ऐसा ही भावनात्मक आवेग निर्माण किया गया है। देहातों में रहने वाले लोग आंबेडकर भवन को बाबासाहब का घर ही समझ बैठे है। लोगों को बताया जा रहा है कि सरकार और आंबेडकर परिवार के विरोधियों ने बाबासाहब का घर गिराकर उन्हे बेघर किया है। ऐसा झुठा और बेतुका प्रचार देहातों में किया गया है। भवन के ट्रस्टियों का फर्जी और आरएसएस के दलाल

करार देकर उन्हे सरकार से करोडों रुपये प्राप्त हुए है, ऐसे आधारहिन आरोप लगाए गए। बाबासाहब ने अपने पैसे से खरीदी गई जमीन बिल्डर को बेच दी गई है और इस जगह पर अब कमर्शियल मॉल बनाया जा रहा है। मॉल बनाए जाने के बाद आंबेडकरी बौद्धजनों को यहां पयर रखने की भी अनुमति नही होगी, ऐसी कई तरह की अफवाए फैलाकर लोगों को ट्रस्ट के खिलाफ आंदोलन करने के लिए भडकाया गया। जिन लोगों को सिर्फ और सिर्फ असत्य के आधार पर अपना स्वार्थ साधना है, वे लोगों तक कभी सही जानकारी पहुंचने नही देते। सत्य और तथ्यों के आधार पर लडाई लडने में इन्हे अपना झूठ लोगों के सामने आने का डर रहता है। इसलिए इस तरह के लोग भावनिक मुद्दे का सहारा लेते है। दुखदायी बात तो यह है कि बाबासाहब जो विश्व के महानतम सत्यनिष्ठ महापुरुष को अपना गुरु मानते थे, जिन्होने जिंदगी में कभी कभी झूठ का सहारा नही लिया और कानून के दायरे में रहकर अपने लोगों को अधिकार दिलाने के लिए लडाई लड़ी, उनके ही नाम का उपयोग असत्य बात को सत्य साबित करने के लिए किया जा रहा है। सही जानकारी छुपाकर लोगों की भावनाए भडकाकर अपने स्वार्थ को साधने के लिए बाबासाहब की विश्वसनियता पर सवालिया निशान खडे करना चाह रहे बांधवों को हम बताना चाहते है कि, 'भाईयों आपको जो चाहिए वह ले लो, पीपल्स इम्प्रूवमेट ट्रस्ट की सारी जमीन अपने कब्जे में ले लो, उसे बेचों, उस जमीन का आपको जो करना करिए! पर बाबासाहब का नाम लेकर झूठ मत बोलो! आप हमारे मुक्तिदाता महापुरुष डॉ. बाबासाहब आंबेडकर के परिवार के सदस्य के रुप में आदरणीय हो, लेकिन बाबासाहब का नाम असत्य का समर्थन करने के लिए उपयोग ना करें। गैरकानूनी बातों के लिए बाबासाहब के नाम का इस्तेमाल मत करो, यही हमारी आपसे बिनती है।

Jaibhim!.

Trustees,The peoples Improvement Trust

Ambedkar Bhawan,Gikuldas Pasta ,

Dadar East,Mumbai.400014

Email- tpitinfo@gmail.com website:www.tpit.org

Contract- 9821328887,9969220269